न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
/24	भरण पोषण	बारां	बारां

प्रार्थी	वाद शीर्षक	अप्रार्थी
राधा बाई	बनाम	प्रहलाद वगै0

वकील :– श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी

आदेश पत्रक

वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
23.10.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वृद्ध कानुन विरूद्ध अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया जावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/11/24 को पेश हो।	
20-11-24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की ओर से श्री फिरोज खान एड0 का वकालातनामा पेश हुआ। प्रा0 प0 किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 6-12-24 को पेश हो।	
6-12-24	पीठासीन अधिकारी [illegible] में [illegible] से पूर्ववत दिनांक 18-12-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
18-12-24	पत्रावली आज पेश हुई। वकलाम फरीकैन उप0। वकील अप्रार्थी जवाब हेतु समय चाहते है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23-12-24 को पेश हो।	
23-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकलाम फरीकैन उप0। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश किया गया। प्रा0 प0 किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24-12-24 को पेश हो।	
24/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकलाम फरीकैन उप0। बहस हेतु समय चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 08/01/25 को पेश हो।	

08/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील याचीगण उप०। [illegible] प्रार्थी [illegible] दस्तावेज पेश किये प्रा०पत्र [illegible] बहस [illegible] सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/01/25 को पेश हो।
15/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील याचीगण उप०। प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया जाता है। [illegible] के ~~[illegible]~~ लिखा जाना आदेश किया गया। [illegible] की प्रतिलिपि थानाधिकारी, कोतवाली, [illegible] को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुदा होकर [illegible] बाद तामील [illegible] आदेश सुनाया गया।

विविध

निर्णय व इजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 01/2024
दायरा दिनांक :– 23.10.2024
निर्णय दिनांक :– 15/01/2025

उनवान

1. राधा बाई आयु 68 वर्ष पत्नि स्वर्गीय श्री शिवनारायण नागर जाति धाकड निवासी उत्तम कॉलोनी बारां पुलिस थाना कोतवाली बारां तह0 बारां जिला बारां राज0

—प्रार्थीया

बनाम

1. प्रहलाद आयु 50 वर्ष पुत्र श्री शिवनारायण नागर
2. मीरा आयु 48 वर्ष पत्नि री प्रहलाद नागर
3. नरेश आयु 26 वर्ष पुत्र प्रहलाद नागर जातिगण धाकड निवासीगण उत्तम कॉलोनी बारां पुलिस थाना कोतवाली बारां तह0 बारां जिला बारां राज0

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 अभिभावकों माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

निर्णय दिनांक :– 15/01/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एड0– प्रार्थीया
2. श्री फिरोज खान एड0 – अप्रार्थीगण

अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया, उत्तम कॉलोनी बारां पुलिस थाना कोतवाली बारां तह0 बारां जिला बारां राज0 की निवासी है। प्रार्थीया के 4 पुत्र है। प्रार्थीया के पति शिवनारायण का स्वर्गवास आज से करीब 35 वर्ष पूर्व हो चुका है। अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीया का पुत्र है तथा अप्रार्थी क्रम 2 पुत्र वधू है एवं अप्रार्थी क्रम 3 प्रार्थीया का पोत्र है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया से आये दिन लडाई झगडे करते रहते है, व प्रार्थीया के साथ मारपीट करते है तथा प्रार्थीया की दुकान हनुमान जी के लगवा मण्डी रोड पर स्थित है। जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है। उक्त दुकान प्रार्थीया की स्वर्जित दुकान है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया की उक्त दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया। अप्रार्थीगण पूर्व में उक्त दुकान की एवज 10,000/– रू0 प्रतिमाह देते थें। जिससे प्रार्थीया अपना भरण पोषण करती थी। लेकिन अब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को 10,000/–रू0 प्रतिमाह देने से मना कर दिया तथा अब उक्त अप्रार्थीगण से अपने भरण पोषण के लिए पेसों की माग करती है तो प्रार्थीया को गाली गलोच करते है व मारपीट को आमादा होते है तथा कहते है कि यह दुकान को भूल जा दुकान हमारे नाम कर दे अन्यथा तुम्हे जान से मार देगें। जिसके कारण प्रार्थीया का जीना दुर्भर हो रहा है एवं प्रार्थीया के पास आजीविका को कोई जरिया नही है। अप्रार्थीगण ने कभी भी आज तक प्रार्थीया की कोई सेवा सुश्रषा नही की है और ना ही प्रार्थीया को खाना खर्चा दिया है तथा अब अप्रार्थीगण प्रार्थीया की दूकान को हडप करना चाहते है तथा प्रार्थीया को दर दर की ठोकरे

उपखण्ड अधिकारी
बारां

कोतवाली बारां

खाने के लिये मजबूर कर रहे है। अप्रार्थीगण से प्रार्थीया को अपनी जान माल का खतरा पैदा हो गया है। प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को अपनी स्वर्जित दुकान से बेदखल करवा पाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया की दुकान में व्यवसाय करके लगाकर 1,00,000 रू0 प्रतिमाह की आय प्राप्त करते है तथा वह प्रार्थीया को 10,000/–रू0 भरण पोषण राशि अदा करने की पूर्ण सक्षम है। इसके बावजूद भी प्रार्थीया को कोई भरण पोषण राशि अदा नही कर रहै है। अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीया का पुत्र तथा अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थीया की पुत्रवधू है। प्रार्थीया को अपने भरण पोषण, दवा दारू, इलाज के लिए 10,000/–रू0 प्रतिमह की आवश्यकता है जिसे प्रार्थीया अप्रार्थीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही प्रार्थीया अपनी स्वअर्जित दुकान को अप्रार्थीगण से खाली कराकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकर अन्तर्गत पेश है। अन्य कारण वक्त अहस मौखिक श्रीमान के सक्षम निवेदन किये जावेगें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से अभिभावकों माता पिता व वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत 10,000/–रू प्रतिमाह भरण पोषण दवा दारू इलाज हेतु दिलवाया जावें तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीया की स्वअर्जित दुकान से बेदखल किया जावें तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि वे प्रार्थीया को नाजायज परेशान नही करें ना ही उनके साथ किसी प्रकार की मारपीट व प्रताडित करें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी गण को जर्ये सम्मन तलव किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1,ता 3 की ओर से श्री फिरोज खान का वकालत नामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण 1,2 व 3 की और से जवाब पेश किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में छाया प्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड राधा बाई, मकान व दुकान के फोटो एवं वाहनों के फोटो पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के 4 पुत्र है, अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीया का पुत्र है तथा अप्रार्थी क्रम 2 पुत्र वधू है एवं अप्रार्थी क्रम 3 प्रार्थीया का पोत्र है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया से आये दिन लडाई झगडे करते रहते है, व प्रार्थीया के साथ मारपीट करते है तथा प्रार्थीया की दुकान हनुमान जी के लगवा मण्डी रोड पर स्थित है। जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है। उक्त दुकान प्रार्थीया की स्वर्जित दुकान है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया की उक्त दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया। अप्रार्थीगण पूर्व में उक्त दुकान की एवज 10,000/– रू0 प्रतिमाह देते थें। जिससे प्रार्थीया अपना भरण पोषण करती थी। लेकिन अब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को 10,000/–रू0 प्रतिमाह देने से मना कर दिया तथा अब उक्त अप्रार्थीगण से अपने भरण पोषण के लिए पेसों की माग करती है तो प्रार्थीया को गाली गलोच करते है व मारपीट को आमादा होते है तथा कहते है कि यह दुकान को भूल जा दुकान हमारे नाम कर दे अन्यथा तुम्हे जान से मार देगें। प्रार्थीया के पास आजीविका को कोई जरिया नही है। प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को अपनी स्वर्जित दुकान से बेदखल करवा पाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया की दुकान में व्यवसाय करके लगाकर 1,00,000 रू0 प्रतिमाह की आय प्राप्त करते है तथा वह प्रार्थीया को 10,000/–रू0 भरण पोषण राशि अदा करने की पूर्ण सक्षम है। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से अभिभावकों माता पिता व वरिष्ठ नागरिक का

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत 10,000/–रू प्रतिमाह भरण पोषण दवा इलाज हेतु दिलवाया जावें तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीया की स्वअर्जित दुकान से बेदखल किया जावें तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि वे प्रार्थीया को नाजायज परेशान नही करें ना ही उनके साथ किसी प्रकार की मारपीट व प्रताडित करें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि दुकान प्रार्थीया की स्वअर्जित नही है। यदि उक्त दुकान प्रार्थीया की स्वअर्जित होती तो उसे दस्तावेजी साक्ष्य मालिकाना स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रार्थीया का भरण पोषण दवा इलाज के लिए उसे दस हजार रुपये की आवश्यकता हो प्रार्थीया दुकान को खाली करा पाने की अधिकारणी नही है। प्रार्थीया के अप्रार्थीगण के अलावा 3 बेटे और है। जिनमें राजेन्द्र उर्फ राजू हजारीलाल एवं ब्रदीलाल है उनके खिलाफ प्रार्थीया ने कोई कार्यवाही नही की है। प्रार्थीया अपनी संपत्ति में अपने सभी वारिसान को हक अधिकर दे चुकी है। इसलिए प्रार्थीया के भरण पोषण की जिम्मेदारी अप्रार्थीगण की अकेले की न होकर उसके सभी वारिसान की है। अप्रार्थीगण को महज परेशान एवं तंग करने के लिए झुठी कार्यवाही पेश की है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की सदैव देखभाल सेवा सुश्रुषा एवं हारी बीमारी में दवा आदि की व्यवस्था की है। परन्तु प्रार्थीया उससे संतुष्ट नही है। तथा उसका दिमागी संतुलन बिगडा हुआ होने से उसने मोहल्ले पडौस के लोगो के बहकावे में आकर यह झुठी कार्यवाही पेश की है। जो खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीया ने दुकान के स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किए है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त दुकान प्रार्थीया की स्वअर्जित हो। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उपरोक्त विवेचनानुसार बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते है कि प्रार्थीया को अप्रार्थीगण द्वारा भरण पोषण नही कर रहै है। अतः माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक का जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने मे असमर्थ है, उनके समाधान हेतु वरिष्ठ नागरिक के भरण–पोषण के लिये मासिक भत्ता अप्रार्थीगण 5000/– रू. प्रतिमाह दिलाया जाना उचित है, जिससे प्रार्थी अपना जीवन यापन सही प्रकार से कर सके तथा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण मकान/दुकान से बेदखल नहीं किया जावे। प्रार्थीया को मकान में रहने दिया जावे। अप्रार्थीगण प्रार्थीया से किसी प्रकार की लडाई झगडा व गाली गलोच नही करने हेतु पाबन्द किया जावें। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण से 5000/– हजार रू. प्रतिमाह प्रार्थी को भरण–पोषण हेतु दिलवाया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 स्वीकर किया जाता है। थानाधिकारी कोतवाली बारां को निर्देशित किया जाता है, कि अप्रार्थी कम–1 5000/– हजार रू. प्रतिमाह हेतु प्रार्थीया राधा बाई पत्नि स्वर्गीय श्री शिवनारायण नागर जाति धाकड निवासी उत्तम कॉलोनी बारां पुलिस थाना कोतवाली

उपखण्ड अधिकारी
बारां

बारां तह0 बारां को दिलाया जावे तथा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण मकान/दुकान से बेदखल नहीं करे। प्रार्थीया को मकान में रहने दिया जावे। अप्रार्थीगण प्रार्थीया से किसी प्रकार की लडाई झगडा व गाली गलोच नही करने हेतु पाबन्द किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां